सभी विधानसभा क्षेत्रों में होंगे कृषि सम्मेलन

मप्र देश का इकलौता राज्य जो 5 रुपए में बिजली कनेक्शन दे रहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 मार्च. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषक कल्याण वर्ष 2026 में विभिन्न विभाग मिलकर कृषि विकास और कृषक कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे.

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी उपायों पर क्रियान्वयन तेज किया जाएगा. कृषक कल्याण वर्ष का लाभ किसानों के परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. मप्र, देश का इकलौता राज्य है, जो 5 रुपए में किसानों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवा रहा है. ये किसानों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में कृषि सम्मेलन होंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में कृषक कल्याण वर्ष में सक्रिय सहभागिता जुटाने के उद्देश्य से आयोजित किए गए कृषि अभिमुखीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे सभागार मप्र के पुराने विधानसभा भवन का पवित्र स्थान है. इस स्थान पर कृषक कल्याण योजनाओं पर केन्द्रित कार्यशाला राज्य सरकार के कृषि क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता का भी प्रतीक है.

दुग्ध उत्पादन 20 बढ़ेगा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है. पिछले डेढ़ साल में प्रदेश का दूध कलेक्शन 25 प्रतिशत बढ़ा है. अब प्रदेश में प्रतिदिन 12.50 लाख लीटर दूध कलेक्शन किया जा रहा है. दूध का मूल्य भी 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है. इससे दुग्ध उत्पादकों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कार्यशाला में लगभग सभी प्रमुख विभाग शामिल हुए हैं. राज्य की आबादी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा इन 16 विभागों के तहत आ जाता है. प्रदेश में सिंचाई का रकबा 100 लाख हैक्टेयर करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है. प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में कृषि यंत्रों की दुकानें खुलेंगी, जिनसे लघु कृषकों को खेती के लिए किराये पर यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे. विधायक अपने क्षेत्र में 4 से 5 कृषि सम्मेलन करें, इसके लिए कृषि विभाग ने प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 लाख रुपए आवंटित करने का निर्णय किया है.

जल संचयन में मॉडल स्टेट बनेगा मध्यप्रदेश

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है. इसे बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है. हम हर गांव, हर शहर और हर नागरिक को जल संरक्षण के कार्यों से जोड़ना चाहते हैं. समाज और सरकार जब साथ मिलकर काम करेंगे, तो मप्र समृद्धि की दिशा में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा. प्रदेश के नागरिकों को पानी बचाने के लिए सक्रिय रूप से जुड़ना होगा, इससे मप्र जल संचयन और प्रबंधन में देश का एक मॉडल स्टेट बनेगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल संबंधी जरूरतों की पूर्ति और भावी पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों की सुरक्षा की मंशा से प्रदेश सरकार एक बार फिर बड़े पैमाने पर जल गंगा संवर्धन अभियान शुरु करने जा रही है. भारतीय नववर्ष प्रतिपदा गुढ़ी पड़वा के शुभ अवसर पर 19 मार्च को उज्जैन की शिप्रा नदी तट से इस राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है.

उमंग सिंघार ने की जीएसटी चोरी की जांच की मांग

विशेष संवाददाता

भोपाल, 16 मार्च. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रही कथित संगठित जीएसटी चोरी के मामले की केंद्रीय स्तर पर व्यापक जांच कराने की मांग की है.

पत्र की प्रतिलिपि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष, राज्य के वित्त मंत्री तथा वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव को भी भेजी गई है. पत्र में सिंघार ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रमुख औद्योगिक जिलों से प्राप्त विस्तृत जानकारी से संकेत मिलते हैं कि एक संगठित नेटवर्क बिना वैध कर भुगतान के राज्य में माल का परिवहन और व्यापार कर रहा है. शिकायत के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई दक्षिणी राज्यों से लोहे से संबंधित सामग्री, निर्माण सामग्री और मसालों जैसे सामान मध्यप्रदेश में लाए जा रहे हैं. पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि जीएसटी देनदारी से बचने के लिए फर्जी या हेरफेर किए गए ई-वे बिल और कम मूल्य के बिलों का व्यापक दुरुपयोग किया जा रहा है. सिंघार ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से केंद्र और राज्य सरकार को हर वर्ष हजारों करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है और मामले की निष्पक्ष व गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

1825 सिलेंडर जब्त, 8 के खिलाफ एफआईआर

एसीएन ने मंत्रालय में ऑयल कंपनियों के साथ लगातार चौथे दिन की समीक्षा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 मार्च. प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर बुकिंग एजेंसियों के बाहर लगातार लग रही कतारों के बीच कंपनियों ने लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करने की सलाह दी है. कंपनियों ने आश्वस्त किया है कि प्रदेश में पर्याप्त सिलेंडर उपलब्ध है. इस बीच प्रदेश में एलपीजी की कालाबाजारी तथा जमाखोरी के विरूद्ध लगातार कार्यवाही भी जारी है.

प्रदेश में 1116 स्थानों पर कार्यवाही कर 1825 सिलेंडर जब्त किये गए तथा 08 प्रकरण में एफआईआर की गयी. पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी तथा घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता के सम्बन्ध में ऑयल कंपनियों से समन्वय के लिए राज्य स्तर पर 6 सदस्यीय समिति भी गठित की गयी है, जो प्रदेश में कामर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी करेगी.

अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरूण शमी ने सोमवार को भी मंत्रालय में खाद्य विभाग के अधिकारियों तथा ऑयल कंपनियो के प्रतिनिधियों के साथ पेट्रोल, डीजल, पीएनजी, सीएनजी तथा घरेलू गैस की आपूर्ति के संबंध मे समीक्षा की. एसीएस शमी द्वारा सिलेन्डर की वितरण व्यवस्था सुचारू बनाए रखने तथा घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर समय पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गये हैं. ऑयल कंपनियो के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कंपनियो ने मोबाइल एप, एसएमएस, व्हाट्सएप तथा आईवीआरएस कॉल द्वारा गैस बुकिंग की सुविधा प्रदान की गयी है. उपभोक्ता बुकिंग के लिए डिजिटल माध्यम का प्रयोग करें तथा अनावश्यक रूप से एजेंसी पर जाने से बचें. ऑयल कंपनियो के प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि रविवार 15 मार्च को अवकाश के बाद भी तीनों गैस कंपनियों द्वारा लगभग 1,20,000 गैस सिलेन्डर घरेलू उपभोक्ताओं को प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराये गए हैं.

> औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओ से आग्रह किया गया है कि वे उपलब्धता अनुसार पीएनजी के कनेक्शन लें. पीएनजी की आपूर्ति लगातार बनी हुई है और आगे भी जारी रहेगी. ऑयल कंपनी के स्टेट नोडल ऑफिसर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, घरेलू पीएनजी तथा सीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है. गैस सिलेण्डर का पर्याप्त स्टॉक है. प्रदेश के बॉटलिंग प्लांट एवं वितरकों के गोदाम में पर्याप्त सिलेण्डर उपलब्ध हैं. घरेलू उपभोक्ताओं से अपील की गयी है कि विगत अंतिम रिफिल के 25 दिन बाद पुनः बुकिंग करायें.

डिजिटल अरेस्ट के तीन आरोपी गिरफ्तार

शिवपुरी. जिले में पुलिस ने जंगल में छापा मारकर अश्लील वीडियो बनाकर डिजिटल गिरफ्तारी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस सूत्रों ने कल शाम ये जानकारी देते हुए गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम ठाकुरदास लोधी, परेश्वर लोधी एवं भोला लोधी बताए हैं. उनके तीन साथी मौके से भागने में सफल हो गए. सूत्रों ने बताया कि आरोपियों के पास से एक कार, 60 हजार रुपए नगद एवं तीन एंड्राइड मोबाइल फोन बरामद किए हैं. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाकर लगभग एक करोड़ रुपए की ठगी की गई है. ये राशि उन्होंने मकान बनवाने, संपत्तियां खरीदने तथा अपने भोग विलास में व्यय कर दी. साइबर ठगी को रोकने एवं फर्जी बैंक खातों का पता लगाए जाने हेतु प्रदेश में चल रहे ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत यह कार्रवाई की गई है.

गर्मी के बाद प्रदेश में बारिश की संभावना

पहले तपेगा प्रदेश, फिर बरसेंगे बादल

बादलों की वजह से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की

भोपाल, 16 मार्च. मध्यप्रदेश में इन दिनों मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है. प्रदेश के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़कर 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जबकि कुछ शहरों में बादलों की वजह से हल्की गिरावट भी दर्ज की गई है.

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक प्रदेश में गर्मी का असर तेज बना रहेगा, लेकिन 18 और 19 मार्च को कई इलाकों में बारिश की संभावना बन सकती है. रविवार को ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिला, जिससे कई जगह बादल छाए रहे और तापमान में लगभग 1.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिस्टम अब कमजोर पड़ चुका है, इसलिए 16 और 17 मार्च को प्रदेश में मौसम सामान्य रहने की संभावना है और बारिश या बादलों का कोई खास असर नहीं दिखेगा. मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के मुताबिक 17 मार्च की रात से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है.

भोपाल में 36 .4 डिग्री तापमान किया रिकॉर्ड

प्रदेश के अलग-अलग शहरों में तापमान की स्थिति भी अलग-अलग रही. ग्वालियर में अधिकतम तापमान 32 .6 डिग्री, दतिया में 32 .4 डिग्री, छिंदवाड़ा में 36 डिग्री, सिवनी में 35 .6 डिग्री, मंडला में 37 .2 डिग्री और बालाघाट में 35 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं प्रमुख शहरों में भोपाल में 36 .4 डिग्री, इंदौर में 35 .5 डिग्री, उज्जैन में 35 .5 डिग्री और जबलपुर में 35 .7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया.

सज्जन सिंह वर्मा की पत्नी का निधन

विशेष संवाददाता

भोपाल, 16 मार्च. वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की धर्मपत्नी सुभद्रा वर्मा का सोमवार को इंदौर में निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार रीजनल पार्क मुक्तिधाम में किया गया. उनके पुत्र पवन वर्मा ने मुखाग्नि देकर अपनी माता को भावभीनी विदाई दी.

अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने उपस्थित होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की.

> इस दौरान मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने कहा कि सुभद्रा वर्मा सरल और सौम्य व्यक्तित्व की धनी थीं. पटवारी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा परिजनों को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दें. उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में पूरी प्रदेश कांग्रेस वर्मा परिवार के साथ खड़ी है.

24घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा पाठ का हुआ समापन

- नशा,मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान जाति पात एवं छुआछूत से मुक्त का जीवन जिए: सौरभ द्विवेदी(अनूप भैया

नवभारत न्यूज

सिरमौर 16 मार्च, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भगवती मानव कल्याण संगठन महासचिव सिद्धाश्रम रत्न 24 घंटे का अनवरत श्री अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ जिला स्तरीय रीवा के नगर बैकुंठपुर में संपन्न हुआ.

इस भव्य कार्यक्रम के समापन की बेला पर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ मुख्य महासचिव एवं ब्यूरो चीफ बीरेंद्र प्रसाद मिश्र से रूबरू होते हुए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भगवती मानव कल्याण संगठन महासचिव एवं सिद्ध आश्रम रत्न सौरभ द्विवेदी अनूप भैया ने बताए कि नशा मुक्ति मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान का जीवन जीते हुए जाति पाति एवं छुआछूत से मुक्त होकर जीवन जिए यही मनुष्य को अपने जीवन को सतमार्ग पर जाने का सही रास्ता है एवं अपने जीवन को सफल बनाने का एक मात्र मूल मन्त्र हैं. भगवती मानव कल्याण संगठन के संचालक संस्थापक योगीराज श्री शक्तिपुत्र महाराज जी के निर्देशन पर पिछले 32 वर्षों से जाति-पाति नशा, एवं मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान जीवन जीने के लिए अभियान चलाया जा रहा हैं श्री द्विवेदी ने कहा कि अंग्रेजों के समय से चला आ रहा हैं की फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाते हुए आज सभी पार्टी के लोग जाति-पाति छुआ छूत का विष समाज मे फैला रहे हैं एवं अपने राजनीति की रोटी सेकने के लिए कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारे संगठन में एससी एसटी पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग एवं सभी जाति के लोग सिर्फ मनुष्य हैं सभी को भगवती मानव कल्याण संगठन में समानता का अधिकार है.

शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस का शिकंजा

- 12 वाहन जप्त, चालकों को न्यायालय में किया जाएगा पेश
- लाइसेंस निलंबन के लिए परिवहन विभाग को भेजा जाएगा प्रस्ताव

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 16 मार्च। जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। मनीष खत्री के निर्देश तथा सर्वप्रिय सिन्हा और उमेश प्रजापति के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस की टीम ने 15-16 मार्च की मध्यरात्रि शहर के विभिन्न स्थानों पर औचक चेकिंग अभियान चलाया।

अभियान के दौरान निगाही मोड़, अमलोरी तिराहा और पुराना ट्रैफिक तिराहा पर अलग-अलग टीमों द्वारा वाहनों की जांच की गई। इस दौरान लगभग 67 वाहनों की चेकिंग की गई और चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइस दी गई। जांच के दौरान 10 ट्रक और 2 ट्रेलर सहित कुल 12 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। यातायात पुलिस ने सभी वाहनों को जप्त कर प्रकरण निराकरण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

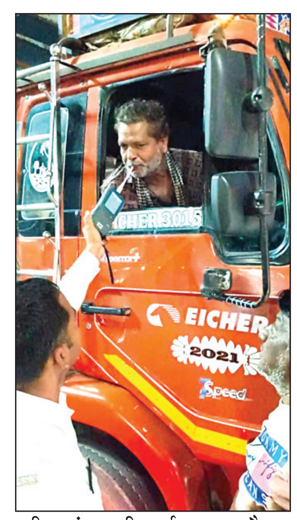

बताया गया कि यातायात पुलिस द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई का सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। वर्ष 2025 में चलाए गए विशेष अभियान के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गई है।

शराब पीकर वाहन चलाने वाले इन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को छः माह के लिए निलंबित कराने के लिए प्रस्ताव संबंधित जिला परिवहन कार्यालय को भेजा जाएगा।

उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी यातायात, सउनि सवालिया रावत, सुरेश शुक्ला, आर प्रवेश, जितेंद्र और लक्ष्मण सहित अन्य यातायात पुलिस स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

मजदूरों के वेतन भुगतान के विवाद पर हुआ समाधान

- नीलकंठ इन्फ्रा माइनिंग लिमिटेड और यूनियन के बीच हुआ समझौता

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 16 मार्च। नीलकंठ इन्फ्रा माइनिंग लिमिटेड और ऊर्जांचल विस्थापित एवं कामगार यूनियन के बीच चल रहा मजदूरी भुगतान से जुड़ा विवाद आखिरकार आपसी सहमति से सुलझ गया।

यह समझौता 13 मार्च को शहडोल स्थित श्रम कार्यालय में समझौता अधिकारी एवं सहायक श्रमायुक्त की मौजूदगी में संपन्न हुआ। जानकारी के अनुसार यूनियन द्वारा नीलकंठ इन्फ्रा माइनिंग लिमिटेड के विरुद्ध मजदूरों के वेतन भुगतान सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर नोटिस दिया गया था। मामले को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच लंबी वार्ता हुई। वार्ता के दौरान समझौता अधिकारी के सुझाव और मार्गदर्शन पर दोनों पक्षों ने विवाद को आगे न बढ़ाने और आपसी सहमति से समाधान निकालने पर सहमति जताई। समझौते के तहत कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि मजदूरों की मजदूरी का भुगतान 1 अप्रैल से नियमानुसार किया जाएगा।

इस प्रस्ताव को यूनियन ने स्वीकार कर लिया और विवाद को इसी स्तर पर समाप्त करने की सहमति दे दी गई। समझौते पर कंपनी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि संजय कुमार पाण्डेय तथा यूनियन की ओर से अध्यक्ष संजय नामदेव ने हस्ताक्षर किए।

इस दौरान श्रम विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। समझौते के बाद मजदूरों और प्रबंधन के बीच चल रहा विवाद समाप्त हो गया है।

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला- सतना (म.प्र.)

क्रमांक / प्रवा./ अपर कले./ 26 सतना दिनांक 23/02/2026

// सार्वजनिक सूचना //

विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शिवम रजक पिता श्री पप्पू रजक उम्र-21 वर्ष (01/01/2005) स्थिति-अविवाहित व्यवसाय-मजदूरी स्थायी निवासी-ग्राम मुरकुहू पोस्ट-मुड़वारी थाना-पवई तहसील-पवई, जिला-पन्ना (म.प्र.)-पिनकोड 488446 एवं आवेदिका अंजना रजक पुत्री श्री अनिल रजक उम्र-18 वर्ष (20/11/2007) स्थिति-अविवाहित, व्यवसाय-गृह कार्य स्थायी निवासी-ग्राम कोठी पोस्ट-बाबूपुर ग्राम पंचायत-पिपरी थाना-नागौद तहसील-नागौद, जिला-सतना (म.प्र.)-पिनकोड 485446 के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अंतर्गत विशेष विवाह अनुष्ठान हेतु आवेदन दिनांक 08/01/2026 को प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्तावित विवाह अनुष्ठान के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति लिखित रूप में इस न्यायालय में दिनांक 27/04/2026 को या इसके पूर्व न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अपर कलेक्टर
एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला-सतना (म.प्र.)

नाम सुधार सूचना

मै मीना साकेत पत्नी श्री पुष्पराज साकेत उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम देवमऊ दलदल पोस्ट रामपुर बाघेलान जिला सतना म.प्र. की होकर बहलफ सूचित कर रही हूं कि पूर्णेन्द्र साकेत पिता पुष्पराज साकेत मेरा पुत्र है जिसके आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम सागर कुमार साकेत दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि सही नाम पूर्णेन्द्र साकेत हो जो उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं अंकसूची में दर्ज है. अत: मेरे पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज नाम सागर कुमार साकेत के स्थान पर सही नाम पूर्णेन्द्र साकेत दर्ज किया जाए जो सत्य एवं सही है.

कार्यालय नगर परिषद पवई, जिला पन्ना (म0प्र0)

क्रमांक / 442 / लो.नि.शा. / ई-निविदा / 2026 पवई दिनांक 13.03.2026

द्वितीय-निविदा आमंत्रण - सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की राशि / कार्य की समयावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा क्रय करने की तिथि एवं अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	2026_UAD_490079_1	CONSTRUCTION OF MRF AND COMPOSTING PLANT SBM2.0 NAGAR PARISHAD PAWAI DISTT.PANNA M.P.	03 MONTHS PAC Rs: 1474678.00	Tender Form: 2000.00 EMD: Rs. 11200.00	13-03-2026 05:30PM To 16-04-2026 05:30 PM

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पवई जिला - पन्ना (म0प्र0)

CENTRUM Home Loans — Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट एवं रजिस्टर्ड ऑफिस: यूनिट नं. 801, सेन्ट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई- 400098, CIN No. U65922MH2016PLC273826

कब्ज़ा नोटिस

(सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पढ़े गए परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि को संविदागत ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया जाता है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उस पर संविदात्मक ब्याज और दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि की राशि के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

स. क्र.	ऋण खाता संख्या / ऋणी/ सह-ऋणी का नाम	सुरक्षित संपत्तियों (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि और कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तारीख
1	JLRSA22009050 बिनीत सिंह आशा सिंह विपिन सिंह	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और हिस्से में, जिसका पता है: ख.स. 523/17/2, क्षेत्रफल 1620 वर्ग फुट, वार्ड संख्या 03, मौजा- नमतारा, नगर पंचायत नागौद, पटवारी हल्का नागौद, तहसील नागौद, जिला सतना-485001, मध्य प्रदेश। सीमाएँ- पूर्व- धर्मेंद्र सिंह का गृह, पश्चिम- रामसखी सोनी का प्लॉट, उत्तर- 12 फुट की सड़क, दक्षिण- तिवारी और केसरी सिंह के गृह का प्लॉट।	31/12/2025 रुपये 8,16,910/- (रु. आठ लाख सोलह हजार नौ सौ दस मात्र)	13.03.2026

दिनांक: 17-3-2026
स्थान: मध्यप्रदेश

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
सेन्ट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बैढ़न, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/सिस/2026/1727 दिनांक 16/03/26

द्वितीय वाहन स्टैण्ड वसूली हेतु आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर में वाहन स्टैण्ड की वसूली के लिये आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। आवेदन फार्म जिला चिकित्सालय के सचिव रोगी कल्याण समिति शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन दिनांक 17.03.2026 से 27.03.2026 सायं 4 बजे तक जमा किया जावेगा एवं दिनांक 28.03.2026 को सुबह 11 बजे कार्यालय में खोली जावेगी। आवेदन खोलते समय आवेदनकर्ता उपस्थित रह सकते हैं। आवेदन फार्म, नियम एवं शर्ते कार्यालयीन समय में 500.00 जमा कर प्राप्त किये जा सकेंगे अमानत राशि के रूप में 10000.00 की डीडी आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त कार्य वर्ष 2026-27 के लिये होगा। निविदाकार आवश्यक दस्तावेज (जैसे फर्म का पंजीयन पेन कार्ड, आधार कार्ड) उपलब्ध कराना होगा। वाहन स्टैण्ड आवेदन निरस्त करने का अधिकार सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पास रहेगा। पूर्व में कार्य कर चुके निविदाकार आवेदन नहीं कर सकेंगें।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय बैढ़न

कार्यालय कलेक्टर जिला सतना (म0प्र0) एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

// अधिसूचना //

भू-अर्जन प्रक्र0 अ 82/25-26 पत्र क्र. 285 / भू-अर्जन / 2026 दि. 05/03/2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। तथा भी अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे.मे.) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	डाम्हा	0.0120 हे.	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र.07 सतना जिला सतना (म.प्र)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत मौहारी वितरिका नहर पूरक भूअर्जन प्रयास।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भू अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉ. सतीश कुमार एस.)
कलेक्टर
जिला सतना (म0प्र0)
एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग

G-27457/25